न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी

पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.

पीठांसीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 07/2024

जीएसएमएस नं. – 2024/529

–: अपीलान्ट :–
शेरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

–: रेस्पोडेन्ट्स :–
1. सुरजी देवी पत्नि गणपतराम
2. ज्योति पत्नि पपुराम
जातियान माली निवासीगण ग्राम चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1957 द्वारा ग्राम पंचायत चौकड़ी कलां द्वारा दिनांक 28.03.2024 को स्वीकार किया गया

निर्णय

दिनांक : 05.03.2025

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश कच्छावाह एडवोकेट – अपीलान्ट्।
श्री रामकिशोर खोजा एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट्।

वकील अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो इस प्रकार से है कि ग्राम चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 231 क्षेत्रफल 1.2701 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 232 क्षैत्रफल 1.0841 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 235 क्षैत्रफल 5.3879 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता सं. नया 411 व पूराना 280 पर इन्द्राजसुदा हैं। उक्त भूमि में अपीलांट का 3/4 वां हक व हिस्सा कानूनन निहीत है एवं 1/4 हिस्सा नारायणसिंह पुत्र किशनसिंह का निहीत रहा हैं। उक्त कृषि भूमि खसरा नबंर 231 व 232 में से अपीलांट ने अपना सम्पूर्ण 3/4 वॉ हिस्सा व खसरा नबंर 235 में से अपीलांट ने अपने हिस्से में से 97/888 वॉ हक हिस्सा भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दों को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के कर दिया जो बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बोरून्दा में दिनांक 13.12.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 9 में पृष्ठ संख्या 56 कम संख्या 202303543101007 पर पंजीबद्ध किया गया है। रेस्पोडेन्टस के नाम से पंजीबद्ध बैचाननामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही करते समय भूलवश सहवन से उक्त खसरा नबंर 231, 232 व 235 में रेस्पोडेन्ट संख्या एक का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या दों का 1/2 हिस्सा गलत इन्द्राज कर दिया व अपीलांट का खसरा नबंर 235 में शेष हिस्सा विलोपित कर दिया व उक्त भूमियों के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहखातेदार नारायणसिंह का 1/4 हिस्सा भी विलोपित करते हुए नामान्तकरण संख्या 1957 स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश है :–

अपील आधार

(1) यह है कि ग्राम पंचायत चौकडीकंला ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एव वाक्याती भूल की है।

(2) यह है कि ग्राम पंचायत चौकडीकंला ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पुर्व अपीलांट को कोई नोटिस ही नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये बाले बाले की गई जबकि अपीलांट व नारायणसिंह कों सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत चौकडीकंला ने उक्त नामान्तरण सरासर गलत स्वीकार किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) यह है कि ग्राम पंचायत पूर्व व हल्का पटवारी ने नामातकरण जैर अपील स्वीकार करने से पंजीबद्ध वैचाननामा की बिना अवलोकन नही किया न ही विधिवत व कोई जांच की। उक्त नामान्तकरण संख्या 1957 कानून के प्रावधानो की मंशा के विपरीत स्वीकार किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) यह है कि नामान्तरकण जैर अपील के जरिये संरपच ग्राम पंचायत चौकडीकंला ने अपीलांट व नारायणसिंह के जायज खातेदारी अधिकारों से वंचित करने का असफल प्रयास किया हे नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरण खोलते समय पंजीबद्ध बैचाननामा का अवलोकन नही करके उक्त नामान्तरण गलत रूप से रेस्पोडेन्टस के नाम से स्वीकृत कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को चाहिए था वे अपीलांट व नारायणसिंह को विधिवत् नोटिस देकर व पंजीबद्ध बैचाननामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके नामान्तरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तमाम कार्यवाही बाले बाले एक तरफा की गई है इसलिए नामातकरण जैर अपील काबिल खारिज फरमाने योग्य है।

(5) यह है कि अपीलांट आज दिन खसरा नबंर 235 पर अपने हक व हिस्से अनुसार व नारायणसिंह खसरा नबंर 231,232,235 पर 1/4 हिस्सें पर काबिज है व काश्त कार्य करतें आयें है हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट व नारायणसिंह के कब्जे के बारे में बिना कोई जांच किये बिना पंजीबद्व बैचाननामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियें ही नामान्तरण की कार्यवाही नियम विरूद्ध की है एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना की हैं। अतः अपील पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1957 दिनांक 08.04.2024 निरस्त फरमाया जाकर पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 13.12.2023 के अनुसार ही नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुए जिस पर दिनांक 12.02.2025 को रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर खोजा ने वकालतनामा मय एडमिटेड जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तरकरण सं. 1957 गलत स्वीकृत किया हुआ है पंजीबद्ध बेचान दिनांक 13.12.2023 के अनुसार ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। नामान्तरकरण सं. 1957 को निरस्त फरमाया जाकर पंजीबद्ध बेचान अनुसार नामान्तरकरण खोलने का आदेश फरमावें एवं अपीलान्ट की अपील पंजीबद्ध बेचान अनुसार ही नामान्तरकरण खोलने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

वकील अपीलान्ट को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात् व अपील प्रार्थना पत्र के तथ्यो, वकील अपीलान्टस के तथ्यो पर मनन किया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेट्स द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं ।

अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 1957 दिनांक 28.03.2024 ग्राम चौकड़ी कलां बिना जांच के भरा हैं अतः अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है । ग्राम पंचायत चौकड़ी कलां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1957 दिनांक 28.03.2024 को खारिज कर तहसीलदार पीपाड़ शहर हो रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार नये सिरे से सम्पूर्ण जाचं कर आदेश पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी
पीपाड़ शहर